RAJYA SABHA

Wednesday, the 11th December, 1985/20 Agrahayana, 1907 (Saka)

The House met at eleven of the Clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Awarding of Handling contract in the North East Frontier Railway

*321. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is fact that no action has yet been taken against corrupt officials of the North East Frontier Railway Headquarters regarding award of an irregular handling contract of MG and BG parcel transhipment at Kathihar in 1980-81 and broad guage railway bypass at Kumedpur in which a few lakhs of rupees were paid in excess;

(b) if so, what are the details; and

(c) what action is being taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Recorded warning has been administered to four officers and two non-gazetted staff, and disciplinary proceedings for major penalty are in progress against three other officers in consultation with the Central Vigilance Commission.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय के जबाब से स्पष्ट है, जिनको हैवी पैनल्टी मिलने वाली है उनके मामले तो पेंडिंग है, लेकिन जिन्होंने लाइट कसूर किया है उनको सजा मिली है, जिन्होंने बडा कसूर किया है उनको सजा नहीं मिली है मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला पिछले पांच छ. वर्षों से लम्बित है और आगे कितने दिन लम्बित रहेगा, इसका कुछ पता नहीं है । इसलिए मेरा प्रश्न है (क) जिन अधिकारियों पर मेजर पेनल्टी की बात है उनके खिलाफ क्या अभियोग है ? (ख) यह अपराध कब डिटेक्ट हुआ और कब कार्यवाही शुरू हुई और (ग) कब तक इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा ?

MR. CHAIRMAN: Have you exhausted your supplementary or are you putting one more?

SHRI CHATURANAN MISHRA: It is (a), (b), (c).

श्री माधव राव सिंधिया : श्रीमन्, कुछ आरोप हैं और इनके बारे में कुछ जानकारी मिली और इनके बारे में कुछ पूछताछ सन् 1979 के अंत में आरम्भ की गई थी । कंट्रेक्ट इफेक्टिव 20 नवम्बर, 1979 से था । तत्पश्चात कुछ जानकारी मिली । उसके पश्चात पूछताछ आरम्भ की गई । केस रजिस्टर हुआ और उसके बाद मई, 1980 में पूछतांछ हुई । इसमें अवश्य कुछ विलम्ब हुआ है । कानूनी प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि उन कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार हमको चलना पड़ेगा । हमारा पूरा प्रयास है कि सेंट्रल विजिलेंन्स कमीशन और हमारे बीच में कंसल्टेशन के पश्चात समन्वय स्थापित हो । उनकी रिपोर्ट जल्दी हमारे पास आए और हमारा भी प्रयास है कि इस पूरे मामले में शीघ्र से शीघ्र निर्णय ले लिया जाये ताकि जिनके अगेंस्ट मेजर एक्शन लेना है वह हम जल्दी से जल्दी ले सकें । इसके लिए सी०बी० आई० की फाइनल रिपोर्ट की आवश्यकता रहेगी ।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि कानून में अगर कोई बाधा है तो मंत्री महोदय परिवर्तन कर सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि ऐसे मामलों में पांच-पांच वर्ष का समय लग जाता है । यह तो अत्यन्त ही हानिकारक है । इसमें हम लोग किसी उचित नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे । इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि कम

से कम मेजर भ्रष्टाचार के मामलों में क्या सरकार मंत्री स्तर से इसको मोनिटर करने की कोई व्यवस्था करेगी और उसके लिए क्या कोई कालबद्ध योजना बनाएगी कि इस पीरियड के अन्दर अंतिम रूप से उसका निष्पादन कर लेंगे जब तक कि मामला कोर्ट में नहीं है ? इस बिन्दु पर मैं सरकार का जवाब चाहता हूं।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए । परंतु जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा । यह सब केसेज जो पेंडिज हैं इनको मिनिटर लेवल से ही मोनिटर करने का हम प्रयास कर रहे हैं । इसके कुछ नतीजे भी हुए हैं । पहली अगस्त को छः ऐसे केसेज थे पेनल्टी के जो एक साल से ऊपर के थे । और मोनिटरिंग के पश्चात् पहली नवम्बर को, तीन महीने बाद इन 6 केसेज में से सिर्फ एक केस रह गया और पहली दिसम्बर को इसके अलावा एक भी केस नहीं बचा है जो एक साल से ऊपर पूरा न हुआ हो।

SHRI JAGESH DESAI: Sir, five years have passed to speed up this Division enquiry. Whether the Government would consider setting up of I would not say a separate committee, but some other kind of machinery which has to be evolved by the Railway Department, in view of the nature and gravity of the offences to deal with them speedily?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Sir, as I said earlier, it is upto the Parliament to make law of the land; and it is upto the Supreme Court to interpret it. I quite agree with the hon. Member that there has been inordinate delay. We are following the process in accordance with the law of the land.. *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: The question is: Whether the Minister is doing anything about it?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Sir, I can only act in accordance with the law of the land as decided by the hon. Members of this House and the other House.

MR. CHAIRMAN: Q. No 322.

Change of decision to purchase Boeing 757

*322. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in mid 1984 a high level committee headed by the then Air Chief Marshal Dilbagh Singh had after a detailed evaluation, recommended 206 seated twin engine Boeing 757 as the 'most suited' intermediate capacity plane for the Indian Airlines;

(b) whether it is also a fact that though a letter of intent was issued to the Boeing company for a dozen Boeing 757, the offer was withdrawn cancelling the decision and, instead, a letter of intent was issued to a French company for the supply of 31 A 320 aircraft; and

(c) if so, what are the reasons for changing the earlier decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir..

(b) A letter of intent earlier issued to the Boeing Company by the Indian Airlines, subject to Government approval has since been cancelled and a fresh letter of intent has been issued to M|s. Airbus Industries for the purchase of A-320 aircraft.

(c) This was done because of the techno-economic advantages of the Airbus A-320 aircraft over the Boeing 757 aircraft offer.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Sir, when the decision in favour of Boeing 757 was taken, it was taken after a full evaluation by a high level committee which was headed by Air